न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/2026
जीसीएमएस नं. : 2026/31

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री रोहित कुमार कलाल/ दलीचन्द कलाल निवासी डूंगर थाना खमेरा जिला बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 29–04–2026

प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेश कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया कि पुलिस चौकी जगपुरा थाना मोटागांव के प्रभारी करण सिंह (एएसआई) द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क कर क्षेत्र में रोहित कुमार कलाल द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने की सूचना जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा को दी गई। वक्त मौका पुलिस चौकी जगपुरा जाकर जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा बहमराह लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई। पुलिस चौकी पर पुलिस की कस्टडी में ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन और रोहित कुमार मिला। रोहित कुमार से पुछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे द्वारा कृष्णसिंह उर्फ किसनसिंह जिसका मो. नं. 7342803439 है जो जाति से राजपुत है तथा चुन्डई गांव जिला चित्तौडगढ़ का निवासी है उससे [illegible] दिन [illegible] मैने उससे 36000 रूपए में 400 लीटर 90रू/लीटर के हिसाब से पेट्रोल [illegible] में स्वयं 100रू/लीटर के हिसाब से गांव में बेचता हूॅं। अब तक मैने 185 ली[illegible] पेट्रोल बेच दिया है[illegible] कार्य मैं स्वयं 02 वर्षों से कर रहा हूॅं। पेट्रोल खरीदने एवं बेचने के संबंध में रसद विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिकारी द्वारा जरूरी कागजात मांगे गए परन्तु उसने मौके पर कोई वैद्य कागजात प्रस्तुत नहीं किए। नजदीकी पेट्रोल पम्प गनोडा फिलिंग स्टेशन दूरभाष से पेट्रोल पर काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया। उक्त पेट्रोल सदृश्य पदार्थ की हाइड्रोमीटर एवं थर्मामीटर द्वारा डेन्सीटी जांच करने पर 34 डिग्री तापमान पर 730 डिग्री डेन्सीटी होना पाया गया। मानक अनुसार उक्त पदार्थ पेट्रोल पाया गया। वाहन ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन को जब्त कर पुलिस चौकी जगपुरा के प्रभारी करण सिंह को सुपूर्द किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	जब्त सामग्री का नाम / प्रकार	जब्त सामग्री की मात्रा (पेट्रोल)
1.	04 केन / जरी केन 30 लीटर	120 लीटर
2.	04 केन / जरी केन 25 लीटर	95 लीटर
3.	04 खाली जरी केन	00 लीटर

रोहित कुमार कलाल / दलीचन्द के विरूद्ध पुलिस थाना मोटागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), एफआइआर क्रमांक 0026 दिनांक 02.03.2026 दर्ज करवाई गई। श्री रोहित कुमार कलाल / दलीचन्द कलाल द्वारा पेट्रोल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन कर मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के अनुच्छेद 3(2), 3(3),(क),3,4,3(7) एवं अनुच्छेद 4 का उल्लंघन करना पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 का उक्त व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है।

वाहन ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन को जब्त कर पुलिस चौकी जगपुरा के प्रभारी करण सिंह को सुपूर्द किया गया तथा निर्देशित किया गया है कि सुपुर्दगी में प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखेगे एवं सक्षम न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा मांगा जाने पर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगे।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए में प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा पेट्रोल एवं जरी केन को राजसात करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:45:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दिनांक 16.03.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का नोटिस दिनांक 17.04.2026 को बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी दिनांक 17.04.2026, 22.04.2026 व आज दिनांक 29.04.2026 को दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के नाम बार–बार, रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया। विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि पुलिस चौकी जगपुरा थाना मोटागांव के प्रभारी करण सिंह (एएसआई) द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क कर क्षैत्र में रोहित कुमार कलाल द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने की सूचना जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा को दी गई। वक्त मौका पुलिस चौकी जगपुरा जाकर जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा बहमराह लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई। पुलिस चौकी पर पुलिस की कस्टडी में ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन और रोहित कुमार मिला। रोहित कुमार से पुछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे द्वारा कृष्णसिंह उर्फ किसनसिंह जिसका मो. नं. 7342803439 है जो जाति से राजपुत है तथा चुन्डई गांव जिला चित्तौडगढ़ का निवासी है उससे 15 दिन पूर्व मैने उससे 36000 रूपए में 400 लीटर 90रू/लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदकर मैं स्वयं 100रू/लीटर के हिसाब से गांव में बेचता हूँ। अब तक मैने 185 लीटर पेट्रोल बेच दिया है। उक्त कार्य मैं स्वयं 02 वर्षों से कर रहा हूँ। पेट्रोल खरीदने एवं बेचने के संबंध में रसद विभाग अधिकारी द्वारा जरूरी कागजात मांगे गए परन्तु उसने मौके पर कोई वैद्य कागजात प्रस्तुत नहीं किए। नजदीकी पेट्रोल पम्प गनोडा फिलिंग स्टेशन दूरभाष से पेट्रोल पर काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया। उक्त पेट्रोल सदृश्य पदार्थ की हाइड्रोमीटर एवं थर्मामीटर द्वारा डेन्सीटी जांच करने पर 34 डिग्री तापमान पर 730 डिग्री डेन्सिटी होना पाया गया। मानक अनुसार उक्त पदार्थ पेट्रोल पाया गया। वाहन ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन को जब्त कर पुलिस चौकी जगपुरा के प्रभारी करण सिंह को सुपूर्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रोहित कुमार कलाल/दलीचन्द के विरूद्ध पुलिस थाना मोटागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), एफआइआर क्रमांक 0026 दिनांक 02.03.2026 दर्ज करवाई गई। श्री रोहित कुमार कलाल/दलीचन्द कलाल द्वारा पेट्रोल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन कर मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के अनुच्छेद 3(2), 3(3),(क),3,4,3(7) एवं अनुच्छेद 4 का उल्लंघन करना पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 का उक्त व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है।

वाहन ईक्को गाडी नं. RJ03CC2114 और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन को जब्त कर पुलिस चौकी जगपुरा के प्रभारी करण सिंह को सुपूर्द किया गया अतः प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमाकर जब्तशुदा 215 लीटर पेट्रोल व पेट्रोल परिवहन में प्रयुक्त 12 केन राजसात करने का आदेश प्रदान करावे।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा की गई जांच के दौरान अप्रार्थी से परिवहन एवं विक्रय के वैद्य दस्तावेज नही पाये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर का व्यवसायिक उपयोग एवं परिवहन करना पाया गया। चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल) 215 लीटर तथा 12 भरे एवं खाली जरी केन का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी बांसवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना मोटागांव जिला बांसवाड़ा को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:40 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)